कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1128 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 10 जून, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के अन्तर्गत आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के उपरान्त नोटिस वितरण, सुनवाई की कार्ययोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 10 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत ऑनलाइन समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित :–

1. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।

बैठक का प्रारम्भ करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया तथा विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण के कार्यों का समयबद्ध एवं सफलतापूर्वक निष्पादन किये जाने हेतु सभी जनपदों को बधाई दी गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 14 जुलाई, 2026 को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन पूर्णतः त्रुटिरहित रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए ECINet पर उपलब्ध होते ही विधानसभा एवं भागवार (AC/Part wise) बीटा पीडीएफ का तत्काल परीक्षण किया जाये तथा उसमें पायी गयी त्रुटियों का समय रहते निराकरण किया जाये। बीटा संस्करण के संतोषजनक परीक्षण के उपरान्त With Image एवं Without Image दोनों प्रकार की अंतिम पीडीएफ तैयार की जाये। With Image पीडीएफ को विशेष वाहक (Special Messenger) के माध्यम से प्रिंटिंग एजेंसी को उपलब्ध कराया जाये ताकि निर्धारित समयावधि में मुद्रित प्रतियां जनपदों को उपलब्ध करायी जा सकें। इसके साथ ही आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतिम भाग की Service Voter List ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सम्मिलित किये जाने तथा नवीन मतदान केन्द्रों पर आयोग के निर्देशानुसार BLO एवं सुपरवाइजरों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये।

बैठक में निर्देशित किया गया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को आलेख्य निर्वाचक नामावली का एक मुद्रित सेट व Without Image PDF की सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त Without Image PDF की सॉफ्ट कॉपी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक तथा गत विधानसभा निर्वाचन में प्रथम रनर–अप रहे अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करायी जाये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक जनपद को अपने उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर नोटिस वितरण एवं सुनवाई की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी। उदाहरण स्वरूप उत्तरकाशी जनपद का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार जनपद में 544 मतदान केन्द्र, 25 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तथा 4,02,987 कुल मतदाता हैं। इनमें से 2,24,417 मतदाता डिजिटाइज्ड हैं तथा 67,105 मतदाताओं के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ (Anomalies) चिन्हित हुई हैं, जिनके संबंध में आयोग के निर्देशानुसार नोटिस निर्गत किये जाने हैं। इन विसंगतियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है–

- माता–पिता एवं मतदाता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर – 4,272 प्रकरण
- माता–पिता एवं मतदाता की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर – 3,208 प्रकरण
- दादा–दादी/नाना–नानी एवं मतदाता की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर – 2,607 प्रकरण
- एक परिवार में 6 से अधिक संतानों का मैप होना – 5,266 प्रकरण
- सम्बन्धी रिलेटिव (Relative) के नाम में विसंगति – 3,114 प्रकरण
- स्वयं मतदाता के नाम में विसंगति – 26,229 प्रकरण

- Unmapped Electors – 7,751 प्रकरण।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रत्येक जनपद द्वारा AERO को मतदान केन्द्रों का कार्यभार आवंटित किया जाये तथा नोटिसों की संख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्लस्टर आधारित सुनवाई कार्यक्रम तैयार किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक AERO प्रतिदिन निर्धारित संख्या में सुनवाई कर आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सभी नोटिसों का निस्तारण कर सके। बैठक में अवगत कराया गया कि ECINet के माध्यम से नोटिस स्वतः (Auto Generated) तैयार होंगे तथा उनकी सुनवाई आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत करायी जायेगी।

नोटिस निम्न श्रेणियों के मतदाताओं को निर्गत किये जायेंगे–

- Unmapped Electors
- Mapped with Anomalies वाले मतदाता
- दावे एवं आपत्तियों (Claims & Objections) से संबंधित प्रकरण

बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद अपने यहां उपलब्ध कुल मतदान केन्द्रों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) की संख्या, मतदाताओं की संख्या तथा संभावित नोटिसों की संख्या के आधार पर विस्तृत सुनवाई कार्यक्रम तैयार करें, जिससे निर्धारित 40 दिवस की अवधि में समस्त नोटिसों का निस्तारण किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद निम्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगें–

- प्रत्येक AERO को उनके कार्यभार एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मतदान केन्द्र आवंटित किये जायें।
- निकटवर्ती मतदान केन्द्रों का क्लस्टर बनाकर सुनवाई आयोजित की जाये।
- प्रत्येक क्लस्टर में 2 से 4 मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के लिए सुविधाजनक सुनवाई स्थल अधिसूचित किये जायें।
- पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को अनावश्यक लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
- शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ से बचने हेतु सुनवाई का कार्यक्रम चरणबद्ध बनाया जाये।
- सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जायें।
- वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार मतदाताओं की सुनवाई के संबंध में जनपद स्तर पर पृथक से व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।
- प्रत्येक ERO/AERO पूरे माह के लिए प्रतिदिन सुनवाई का एक निश्चित समय निर्धारित करें, जिससे मतदाताओं को असुविधा न हो।
- नाम अथवा संबंधी के नाम की सामान्य विसंगतियों के प्रकरणों का निस्तारण यथासंभव BLO स्तर पर BAG सदस्य अथवा अन्य सरकारी कार्मिक की उपस्थिति में कराया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नोटिसों का वितरण समयबद्ध ढंग से किया जाये तथा मतदाताओं को सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायी जाये। बीएलए (BLA), बीएजी (BAG) तथा क्षेत्रीय सरकारी कार्मिकों का सहयोग लेकर मतदाताओं को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित की जाये।

बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सुनवाई स्थल पर निम्न व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें–

- ✓ पर्याप्त स्थान/कार्यालय कक्ष।
- ✓ इंटरनेट एवं कम्प्यूटर।
- ✓ विद्युत बैकअप।
- ✓ सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (Public Address System)।
- ✓ डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य सहायक स्टाफ।
- ✓ बैठने की समुचित व्यवस्था।
- ✓ पेयजल एवं शौचालय।
- ✓ उपस्थिति पंजिका एवं अभिलेख संधारण व्यवस्था।

बैठक में वर्तमान मानसून अवधि के दौरान पर्वतीय जनपदों में भूस्खलन, मार्ग अवरोध तथा मैदानी क्षेत्रों में जलभराव एवं बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई स्थलों एवं तिथियों में व्यावहारिक संशोधन करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल महोदय द्वारा हरिद्वार जनपद में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई स्थलों, तिथियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया, जिस पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सुनवाई के दौरान प्राप्त दस्तावेजों के त्वरित सत्यापन हेतु प्रत्येक जनपद में सेल गठित कर शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाये। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों के आदान–प्रदान हेतु प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर एक समर्पित Mail ID भी तैयार की जाये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद अपने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कार्यक्षमता (Capacity Mapping) का परीक्षण करते हुए अतिरिक्त आवश्यकता होने पर तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराये।

बैठक में जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी नोटिस वितरण एवं सुनवाई की कार्ययोजना का संक्षिप्त विवरण दिया गया तथा आवश्यक सुझाव प्रदान किये गये।

बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नोटिस वितरण, सुनवाई एवं दावे/आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों हेतु पृथक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा मण्डलायुक्त/नामित नामावली प्रेक्षकों को आयोग के निर्देशानुसार समय–समय पर नोटिस वितरण, सार्वजनिक सुनवाई तथा दावे/आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन करने तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक निर्देश जारी करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1128 / XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

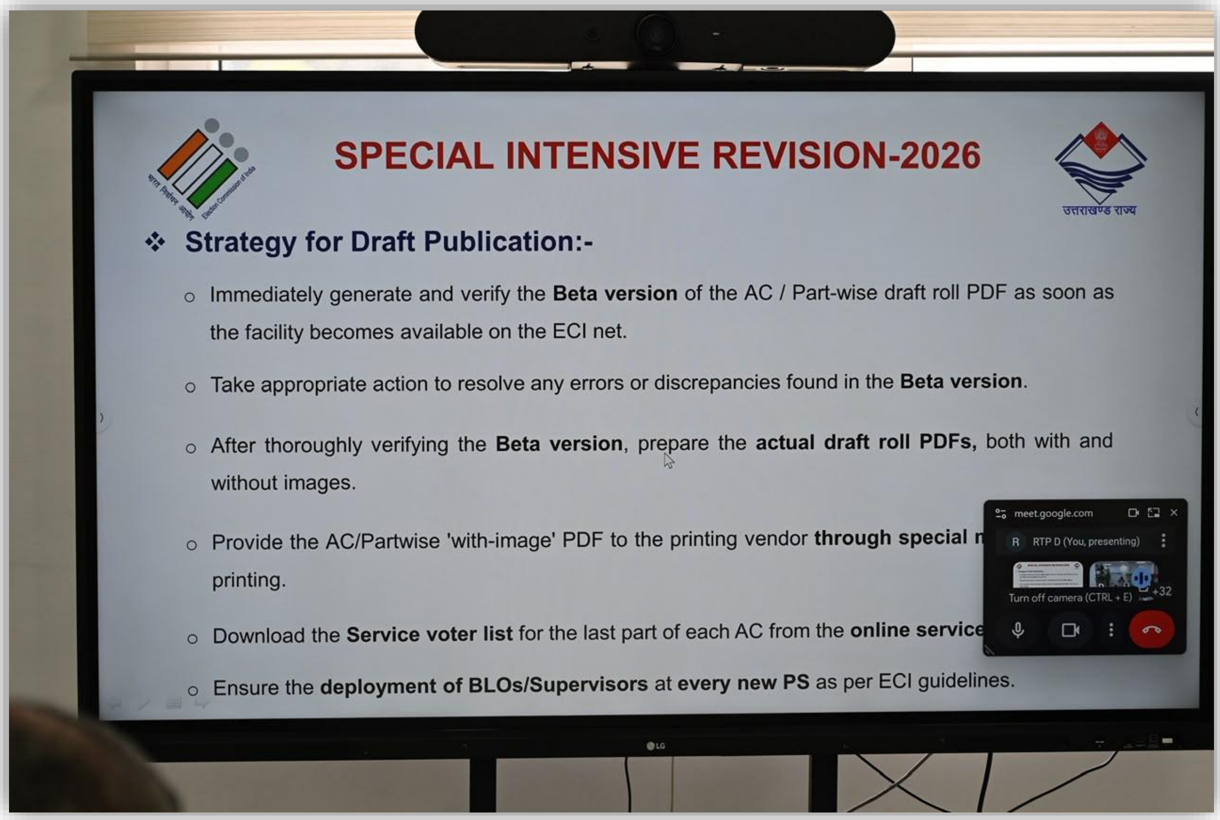
SPECIAL INTENSIVE REVISION-2026
Strategy for Draft Publication:-
Immediately generate and verify the Beta version of the AC / Part-wise draft roll PDF as soon as the facility becomes available on the ECI net.
Take appropriate action to resolve any errors or discrepancies found in the Beta version.
After thoroughly verifying the Beta version, prepare the actual draft roll PDFs, both with and without images.
Provide the AC/Partwise 'with-image' PDF to the printing vendor through special
printing.
Download the Service voter list for the last part of each AC from the online service
Ensure the deployment of BLOs/Supervisors at every new PS as per ECI guidelines.
meet.google.com
RTP D (You, presenting)
Turn off camera (CTRL + E)